पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक—आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून—248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135—2645249 फैक्स नं0 0135—2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1047/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/जी—4 दिनांक : 05.07.2025

विषयः—अन्तिम छोर के व्यक्ति तक उनके अधिकारों को सुलभ कराये जाने एवं विभिन्न परियोजनाओं का लाभ सुलभ कराने में आम जन—मानस को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाईयों का सामना न करने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल, ...।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन की ई—मेल दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से अग्रसारित मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 6420/पी0एस0—मु0स0/2025 दिनांक 23.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्तिम छोर के व्यक्ति तक उनके अधिकारों को सुलभ कराये जाने एवं विभिन्न परियोजनाओं का लाभ सुलभ कराने में आम जन—मानस को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाईयों के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः आपको उक्त पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का स्वयं अनुपालन करते हुये अपने अधिनस्थ अधिकारियों से भी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः—यथोपरि।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी—4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा0ए0ऑ0—निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः—यथोपरि।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

GM(HR)(CP)
30/6/25

rediffmail Mailbox of md.ptcul

No. 2553 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 30/06/25

Subject: reg. programmes/schemes and its benefits reach the last person

From: Energy Deptt. <energy.section1@gmail.com> on Mon, 30 Jun 2025 12:26:03

To: MD UJVNL <mdujvnl@ujvnl.com>, md@upcl.org, md@ptcul.org, CPO UREDA HQ <cpo.uredahq@gmail.com>, E I <ei_uttarakhand@yahoo.com>, Neeraj Sati <secy.uerc@gov.in>

1 attachment(s) - programmes___schemes_and_its_benefits_reach_the_last_person.pdf (589.80KB)

Sir,

Kindly find enclosed herewith letter no. 6420/PS-CS/2025 dated 23rd June, 2025 of Chief Secretary, Government of Uttarakhand regarding issuance of strict instructions to officers/employees of subordinate administrative units by the State Government for implementation of public utility/public welfare programmes and schemes through various departments for the social, economic, educational and all-round development and upliftment of every person/class of the society and to ensure that its benefits reach the last person.

In this connection I am directed to say that kindly issue the necessary instruction to the concerned officers/employees of the department that the aforesaid programmes/schemes and its benefits reach the last person without any complexities and difficulties.

Regards,

Section Officer,
Energy Section-01,
Government of Uttarakhand.

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 1554
File.
Date. 28/06/25

DGM HR
30/6

संख्याः 6420 / पी0एस0–मु0स0 / 2025

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड /
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनॉक : 23 जून,2025

महोदय,

आप भिज्ञ ही हैं कि राज्य सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति / वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एव सर्वांगीण विकास तथा उत्थान के लिये विभिन्न विभागों के माध्यम से जनोपयोगी / जन कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इन कार्यक्रमों / योजनाओं का उददेश्य प्रत्येक नागरिक का हर दृष्टिकोण से विकास करना होता है। कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समाज के अंतिम छोर तक प्रशासनिक इकाईयां गठित की गयी हैं।

परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनके अधिकारों को सुलभ कराये जाने एव विभिन्न योजनाओं का लाभ / उपयोग करने में आम जन–मानस को कई प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाईयों का सामना करना पडता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ–साथ जन कल्याणकारी कार्यक्रमों / योजनाओं का कार्यान्वयन भी सरकार के अनुरूप कार्यान्वित नहीं हो पाता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनके अधिकारों को सुलभ कराये जाने एव विभिन्न योजनाओं का लाभ सुलभ कराने में आम जन–मानस को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाईयों का सामना ना करना पडे, इस हेतु अपने स्तर से अधीनस्थ प्रशासनिक इकाईयों के अधिकारियों / कर्मचारियों को कडे निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में भविष्य में शासन स्तर पर यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

6221
26/6/25

Secy. (Planning)
A.S. (Housing)
J.S. (Energy)

भवदीय,

(आनंन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु प्रेषित:–

1– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

25.06.2025

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव

(मीनाक्षी गुणवन्त)
वरिष्ठ निजी सचिव–प्रमुख सचिव,
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा,
आवास एवं नियोजन

USE(1/27)

(विष्णु सिंह धानिक)
संयुक्त सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

SO
30/6/25

श्रीमती नीना
30/6/25